



व्यापलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

(वीडियो कॉन्फरेंस, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प व्यूट - कलक्टर)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 517/25 दायर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.सं.	नाम - श्रेणी	स्थान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	व्यवस्था	1-73	महोदय जी, निवेदन है कि भूताधिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। आतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	कपासन आदेश तहसीलीदर कपासन की अनुश्रंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.सा अधि.1956 की धारा 136 के अधधीन अनुरार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <del>अनुरार</del> प.ह. <del>अनुरार</del> खतासं. <del>1-73</del> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	
			हस्ताक्षर महोदय पटवारा	हस्ताक्षर निरदवर पटवारा	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलीदर	

प्रतिनिधि पालनाशः- पटवारा ~~कपासन~~ **कपासन** (उपखण्ड अधिकारी) कपासन  
 1. पटवारी पटवार मंडल ..... को भेजकर लेख है कि आदेशाभुधारे राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करे।

तहसीलीदर (प.अ.) कपासन  
 कपासन जिला- चितौडगढ